SR·No-2(R)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941
No. 517]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/ BHADRA 15, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 638(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों को अंतर्विष्ट करने वाला प्रारूप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 471(अ), तारीख 3 जुलाई, 2019 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 04 जुलाई, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सुझाव या आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:----

1. (1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियमावली, 2019 कहा जाए ।

(2) ये राजकीय गजट में अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में नियम 52 में शब्द "एक सौ सैंतीस रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ छिहत्तर रूपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. एस-38012/01/2015-एसएस-I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियमावली को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 22 जून, 1950 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 599(अ), दिनांक 26 अगस्त, 2019 द्वारा पिछला संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2019

G.S.R. 638(E).—Whereas, a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 471(E), dated the 3rd July, 2019 as required by sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 4th July, 2019;

And whereas, no objection or suggestion has been received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:—

1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 52, for the words "rupees one hundred thirty seven", the words "rupees one hundred seventy six" shall be substituted.

[F. No. S-38012/01/2015-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number S.R.O. 212 dated the 22nd June, 1950 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 599(E), dated the 26th August, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.07 16:24:10 +05'30'